



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1895]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2016/श्रावण 5, 1938

No. 1895]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2016/SRAVANA 5, 1938

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2016

का.आ. 2556(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा विजयवाड़ा-महं-मेट्रोपोलिटन न्यायाधीश, विजयवाड़ा के II अपर जिला एवं न्यायाधीश का न्यायालय, कृष्णा को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जा रहे अधिसूचित अपराधों के विचारण एवं निपटान के लिए "विशेष न्यायालय" के बतौर अधिसूचित करती है, जिसका न्यायक्षेत्र अधिकार पूरा आंध्र प्रदेश राज्य होगा।

अतः अब केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय, हैदराबाद के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, एतद्वारा श्री आर. निरंजन, II अपर जिला एवं न्यायाधीश, कृष्णा, विजयवाड़ा-महं-मेट्रोपोलिटन न्यायाधीश, विजयवाड़ा को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "विशेष न्यायाधीश" नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2016

S.O. 2556(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby notifies the Court of II Additional District and Sessions Judge, Krishna at Vijayawada-cum-Metropolitan Sessions Judge, Vijayawada as “Special Court” for trial and disposal of Scheduled Offences investigated by National Investigation Agency, having jurisdiction over the entire State of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of section 11 of National Investigation Agency Act, 2008 (Act 34 of 2008), the Central Government, on the recommendation of the Hon’ble Acting Chief Justice of High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telengana and the State of Andhra Pradesh, hereby appoints Sri R. Niranjana, II Additional District and Sessions Judge, Krishna at Vijayawada-cum-Metropolitan Sessions Judge, Vijayawada as “Special Judge” to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.